



कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

अनिल सक्सैना
कुलसचिव

Ph : 0751-2970519 (O) 0751-2467066 (Fax)

E-mail- registrar@rvskvv.net

क्र./कु.स./स्था.2/समयमान/2023/2084

दिनांक: 04/07/2023

// आदेश //

म.प्र. वित्त विभाग, वल्लभ, भवन मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र./एफ.11/1/2008/नियम/चार/दिनांक 24.01.2008 एवं ज्ञाप क्र./एफ.11/1/2008/नियम/चार दिनांक 30.10.2010 के क्रम में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक/कु.स./स्था.2/समयमान/2022/5509 दिनांक 04.11.2022 द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित तृतीय श्रेणी कर्मचारी श्री प्रकाश तोंडे को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर समयमान वेतनमान योजना (जो दिनांक 01.07.2014 से प्रभावशील है) के अंतर्गत उनके नाम के समक्ष कॉलम नं. 06 में दर्शाये अनुसार तृतीय समयमान वेतनमान व कॉलाम 07 में दर्शायी गयी तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

तृतीय श्रेणी पद						
क्र.	कर्मचारी का नाम/वर्तमान पदनाम एवं पदस्थापना स्थल	प्रथम नियुक्ति दिनांक	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष पूर्ण होने की तिथि	शासन द्वारा निर्धारित समयमान वेतनमान	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7
जीप चालक						
1.	श्री प्रकाश तोंडे, जीप चालक, कृषि महाविद्यालय, इंदौर	08.02.1991	5200-20200 +2800	08.02.2021	9300-34800 +3200	08.02.2021

- उपरोक्तानुसार स्वीकृत समयमान वेतनमान अवधि में किसी के विरुद्ध विभागीय जांच लंबित हो या विभागीय जांच के निर्णय जिसमें समयमान प्रभावित होता है तो उनका आदेश निरस्त माना जाकर विश्वविद्यालय को तत्काल सूचित किया जावे।
- उपरोक्त आदेश में दिया गया विवरण जैसे नाम, वर्तमान पदनाम, प्रथम नियुक्ति की तिथि एवं वर्तमान वेतनमान कार्यालय प्रमुख से सेवापुस्तिका के आधार पर प्राप्त जानकारी अनुसार उच्चतर वेतनमान एवं स्वीकृत तिथि का निर्धारण किया गया है। संबंधित कर्मचारी को आदेश देने के पूर्व अभिलेखों से इसका मिलान करें, यदि पात्रता नहीं बनती है तो ऐसे कर्मचारियों के मामले में यथाशीघ्र सूचित किया जावे, जिससे संबंधित का नाम विलोपित किया जा सके।
- समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण म.प्र. शासन वित्त विभाग के आदेशानुसार निर्धारित होगा।
- उच्चतर वेतनमान में वेतन नियतन पश्चात् कर्मचारी के वेतन नियतन पश्चात् कर्मचारी के वेतन नियतन की जांच संबंधित आवासीय सहायक संचालक से कराने के उपरांत ही वेतन का भुगतान किया जाये एवं एरियर का भुगतान संयुक्त संचालक/उपसंचालक से अंतिम वेतन निर्धारित के पश्चात् ही किया जावे।
- इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात् यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इन्कार करता है तो उसे पूर्व स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत लाभ वापस नहीं लिया जावेगा, बाद में कोई उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
- भविष्य में यदि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों में से किसी को भी द्वितीय समयमान वेतनमान की अपात्रता की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में उक्त आदेश स्वमेव समाप्त माना जावेगा तथा अधिक भुगतान की गई राशि उसके वेतन अथवा पेंशन से वसूली योग्य होगी।

नोट:- संबंधित आदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rvskvv.net से डाउनलोड कर प्राप्त करें।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार

कुलसचिव

दिनांक: 04/07/2023

क्र./कु.स./स्था.2/समयमान/2023/2085

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- लेखा नियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
- सहायक कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
- अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, इन्दौर।
- संबंधित कर्मचारी
- निज सचिव, माननीय कुलपति जी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
- व्यक्तिगत नस्ती/सुरक्षा नस्ती।

कुलसचिव